इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 22.09.2024

जिला सहकारी बैंक में 25 करोड़ रूपयों की धोखाधड़ी से संबंधित 02 अभियुक्ता सहित कुल 04 वांछित अभियुक्तों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एवं थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

जिला सहकारी बैंक के उपमहाप्रबंधक उमेश कुमार एवं वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक जिला सहकारी बैंक इटावा राजीव त्रिपाठी की लिखित तहरीर के आधार पर 10 नामजद व्यक्तियों द्वारा 24 करोड़ 90 लाख रूपये के गबन/अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली **पर मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409 भादवि** पंजीकृत किया गया था।

नोटः- उक्त अभियोग से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को पूर्व मे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 21.09.2024 को मु0अ0सं0 202/2024 से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना कोतवाली पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना के आधार पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा 02 महिला अभियुक्ता सहिता कुल 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. शेलेन्द्र चतुर्वेदी पुत्र स्व0 सूरज सहाय निवासी चम्पा बाग करम गंज थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र 65 वर्ष।
2. उज्जल पोरवाल पुत्र श्याम किशोर पोरवाल निवासी चम्पा बाग करम गंज थाना कोतवाली जनपद इटावा उम्र करीब 44 वर्ष ।
3. 02 महिला अभियुक्ता।

पंजीकृत अभियोगः-

1. मु0अ0सं0 202/2024 धारा 420/467/468/471/409/34/120 बी भादवि थाना कोतवाली जनपद इटावा ।

पुलिस टीमः- निरीक्षक श्री विक्रम सिंह चौहान प्रभारी थाना कोतवाली, निरी0 अपराध श्री भोला प्रसाद रस्तोगी मय टीम।